SECOND ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION PRIVATE LIMITED

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MANUBHAI SHAH): Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (1) of section 639 of the Companies Act, 1956, a copy of the Second Annual Report of the National Small Industries Corporation Private Limited for the year ending the 31st March 1957, together with a copy of the Auditor's Report and the comments of the Comptroller and Auditor-General of India thereon. [Placed in Library. *See* No. LT-512/58.]

AMENDMENTS IN THE TEA RULES, 1954

AMENDMENT IN THE COFFEE RULES, 1955

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI N. KANUNGO): Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (3) of section 49 of the Tea Act, 1953, a copy of the Ministry of Commerce and Industry Notification S.R.O. No. 301 [9(1) Plant (A)/57], dated the 21st January, 1958, publishing certain amendments in the Tea Rules, 1954. [Placed in Library. *See* No. LT-520/58.]

Sir, I also lay on the Table, under sub-section (3) of section 48 of the Coffee Act, 1942, a copy of the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce and Light Industries) Notification S.R.O. No. 200 dated the 9th January, 1958, publishing an amendment in the Coffee Rules 1955. [Placed in Library. *See* No. LT-510/58.]

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

MR. CHAIRMAN: We now go to the President's Address. Mr. Jai Narain Vyas.

श्री जयनारायण व्यास (राजस्थान): सभापति जी, मै प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप में कृतज्ञता अर्पित की जाय :—

"१० फरवरी १९५८ को एक ही साथ सम्मिलित संसद् के दोनों सदनों के सम्मुख राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है उसके प्रति राज्य सभा के सदस्य जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।"

मैं इस प्रस्ताव को अंग्रेज़ी मे भी पढ़ देता हूं:

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both the Houses of Parliament assembled together on the 10th February, 1958."

सभापति जी, धन्यवाद के प्रस्ताव वास्तव में एक रिवाज़ से बन गये हैं लेकिन ऐसा प्रस्ताव रखना कोई बुरा रिवाज़ नहीं है, अच्छा रिवाज़ ही है जब कभी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उस समय सदस्यों को कुछ कहने का अवसर मिलता है। अच्छी बातें जो एड्रेस के अन्दर अभिभाषण के अन्दर, होती हैं उनके ऊपर प्रकाश डालने का मौका मिलता है और सरकार की जो कुछ गल्तियां भी होती हैं उन गल्तियों के ऊपर भी टीका टिप्पणी या कमियों के ऊपर टीका टिप्पणी करने का मौका मिलता है, सुधार सुझाने का मौका मिलटता है और देश की प्रगति और विकास के लिये प्रेरणा देने का भी मौका मिलता है।

इसलिए यह जो रिवाज है, परिपाटी है, यह बुरी नहीं बल्कि अच्छी परिपाटी है। कुछ लोग ऐसा समझते है कि जब कभी ऐसे अवसर आते है उस समय बिल्कुल अच्छी अच्छी बात कहनी चाहिये, परन्तु कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अच्छी बातें कहने की

[श्री जयनारायण व्यास]

कोई आवश्यकता नही है, टीका टिप्पणी करनी चाहिये । एक साहब ने लिखा था हमारे प्लांस के बारे में और सरकारी कामों के बारे में कि "A true democracy always functions best when it is told the worst." जब बहुत बुरी बुरी बातें जनतंत्रवादी सरकारों को कही जाती है तब जाकर वे अच्छी बातें कर सकती हैं, अच्छे काम कर सकती है । कुछ अंशों में यह बात ठीक भी हो, परन्तु उसके पीछे कुछ सत्य होना ही चाहिये । वर्स्ट बातें कहना ही, बुरी बातें करना ही अगर इस लक्ष्य से किया जाय कि जिससे सरकार को नजरों से गिराया जाये या उसको कमजोर किया जाय या उसके अच्छे कामों को भी बुरा बताया जाये, तो मै समझता हूं यह अनुचित है । लेकिन सरकार की कमियों को सद्भावना के साथ बयान किया जाय और अच्छे कामों की प्रेरणा के लिये बताया जाय । किसी चीज़ को कोरी बुराई की दृष्टि से देखना तो ऐसा है जैसा शायद कभी मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा था कि :

"व्रण की करती खोज मक्षिका दिव्य वदन में
पता लगाता ऊंट नीम का चंदन वन में ।"

ऊंट चंदन वन में भी नीम ढूंढ़ेगा, जो अच्छे बदन का है, अच्छे शरीर का है उसके शरीर पर मक्खी व्रण को खोजेगी । यह दृष्टि हमारी नहीं होनी चाहिये बल्कि हमारी दृष्टि अच्छाई और बुराई दोनों को देखने अच्छाई को ग्रहण करने, अच्छाई को आगे बढ़ाने और बुराई को पीछे हटाने, इस प्रकार की होनी चाहिये ।

राष्ट्रपति के भाषण में सबसे पहली बात जिसके ऊपर जोर दिया गया है वह है द्वितीय पंचवर्षीय योजना । कई महानुभाव द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पक्ष में बहुत सारी बाते कहते है तो विपक्ष में कहने वालों की संख्या भी बहुत काफ़ी है । यहा भी विपक्ष में कहने वालों का थोड़ा सा प्रदर्शन, मै समझता हूं, होगा और यह अच्छी भी बात है क्योंकि कई बातें चाहे ज्यादा भी कह दी जायं तो भी उनमें से कुछ तो सार निकालने को मिल ही जायगा ।

राष्ट्रपति ने बताया था कि प्रथम वर्ष के अंत में आर्थिक व्यवस्था पर काफ़ी दबाव पड़ा था और उस दबाव के कारण देश काफ़ी कठिनाइयो में भी पड़ा । लेकिन उस दबाव के रहते हुए भी गत वर्ष साधन जुटा कर निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की प्रेरणा दी गई है । मेरा खयाल है कि इस तरह का दबाव, यदि स्वशासन नही होता, तो हमारे शासन को काफ़ी कठिनाइयों में डाल देता । कभी कभी तो हृदय में एक तरह का भय भी उत्पन्न होने लग गया था कि कहीं इस पंचवर्षीय योजना के पूर्ण अंश को पूरा करने में कुछ कमी न करनी पड़े । इस शंका और भय के कारण कुछ दायें बायें शब्द भी कभी कभी निकल जाया करते थे । लेकिन मुझे यह जान कर प्रसन्नता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कम करने के कोई आसार नजर नही आते है बल्कि जैसी योजना है, हो सकता है, उसमें थोड़ा बहुत निन्नानवे सौ का फ़र्क आ जाय, लेकिन जैसी योजना है उसके अनुसार पूरा चलने की कोशिश की जा रही है । मै आशा करता हूं कि ये कोशिशें कामयाब होंगी ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बताया है कि आयात कम करने के लिये कार्यवाही की गई है, विदेशी पावने के ह्रास की गति कम हो गई है, कर्ज़ भी लिया गया है और उन देशों को धन्यवाद दिया गया है जिन्होंने हमको कर्ज़ देकर हमारी कठिनाइयों को दूर करने में हमारा हाथ बंटाया । जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें स्थिर हुई है, कुछ की कम भी हुई है, खाद्य वस्तुओं का भी संग्रह हुआ है जिससे खाद्य सम्बन्धी कठिनाई कम हो जाय, बैंक सम्बन्धी साधन भी बढ़े और मै आशा करता हूं वे साधन और भी बढ़ेंगे ।

जहां तक खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है, मनुष्य अच्छा कपड़ा पहने बिना रह सकता है लेकिन भरपेट खाये बिना नहीं रह सकता। भरपेट न खाये तो आधा पेट खाने को चाहिये ही। कुछ कम खाकर भी लोगों की जिन्दगी गुज़र सकती है, वे जीवन धारण कर सकते हैं इसलिए मनुष्य के लिए खाना सबसे पहली आवश्यकता है बल्कि पशुओं के लिये भी उतनी ही आवश्यकता है। हमारे देश को ख़ास तौर पर दो एक सालों में काफी दिक्कतें भोजन सामग्री के सम्बन्ध में हुई थी। मैं तो एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां की खाद्य स्थिति में हमेशा कमी रहती है, पशुओं के लिये भी, मनुष्यों के लिये भी। मैंने देश के अंदर ऐसे प्रदेश भी देखे हैं जिनमें खाद्य स्थिति अच्छी होनी चाहिये, और जहां पानी की कोई कमी नहीं है। अगर मैं दो प्रदेशों का मुक़ाबला करूं, एक बिहार और दूसरे राजस्थान का, तो एक आश्चर्य सा होगा। बिहार में बहुत सी नदियां हैं, ट्यूबवैल्स हैं, पानी की दिक्क़त हम लोगों की दृष्टि से नहीं होनी चाहिये लेकिन वहां की खाद्य स्थिति राजस्थान की खाद्य स्थिति से भी बहुत ज्यादा भयंकर है। यह कहना बहुत आसान है कि इस खाद्य स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। लेकिन इस खाद्य स्थिति के भयंकर होने का कारण है वहा की आबादी। दुर्भाग्यवश हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जिस इलाके में एक क्षेत्र में मोल में छः आदमी हैं लेकिन वहां, बिहार में एक मील में १२०० आदमियो के क्षेत्र भी मैंने देखे। चावल के ऊपर वे जिन्दा रहते हैं। जैसे एक अमीर आदमी में बुरी आदतें होती हैं कि अगर उसको ऐश आराम के साधन न मिलें तो वह जिन्दा नहीं रह सकता उसी तरह से चावल एक अमीर धान है और अगर उसे हस्तिनी नक्षत्र की बरसात न मिले तो फसल खराब हो जाती है। मैं ऐसे समय में बिहार में घूमा हूं जब हस्तिनी नक्षत्र की बरसात वहां नहीं हुई थी और लोगों में तिलमिलाहट पैदा हो गई थी। मैं आज भी ऐसा मानता हूं कि अगर भारत सरकार मदद नहीं करती और हमारे पास जो अन्न का संग्रह है उस संग्रह से उनको लाभ उठाने नहीं दिया जाता तो वहां ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि जिसको देखकर मैं घबरा गया था कि कहीं बंगाल का दृश्य इस बार बिहार में न हो जाय, पर यह प्रसन्नता और गौरव की बात है कि वह दृश्य रिपीट नहीं हुआ और आज बिहार, तकलीफों के होते हुए भी, सुरक्षित है, बिहार किसी खतरे में नहीं पड़ सकेगा—ऐसा मैं मानता हूं। तो इस तरह से जिन लोगों ने जहां जहां खाद्य स्थिति बिगड़ी है वहां की हालत को देखा है और बिहार की हालत को भी देखा है वे कह सकते हैं कि किस प्रकार बिहार की हालत को सुधारने की कोशिश की गई है, इसी तरह से जहां जहां खाद्य स्थिति खराब हुई है वहां वहा उस स्थिति को संभालने की काफ़ी कोशिश की गई है। खाद्यान्न की पैदावार पाच फ़ी सैकड़ा के क़रीब बढ़ी है। अब तो मैं समझता हूं दूसरी चीजों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। जहा तक खाद्य वस्तुओं से ताल्लुक है, ६ करोड़ ८७ लाख टन का जो हमारा उत्पादन पहले था उसमें ५ प्रति शत वृद्धि हुई है। जो व्यापारिक फ़सलें हैं उनकी पैदावार में भी वृद्धि हुई है। कपास मे १८ प्रतिशत वृद्धि हुई है, गन्ना मे १३ प्रतिशत, तिलहन में १३ प्रतिशत और कोयला जो काफ़ी आवश्यक है उसमें सन् १९५६ में जो ३ करोड़ ९० लाख टन उत्पादन होता था वह आज ४ करोड़ ३० लाख टन हो गया है। तेल का उत्पादन भी बढ़ रहा है। जैसा कि राष्ट्रपति ने फर्माया आसाम में तेल प्राप्त करने के लिए एक कम्पनी स्थापित की जायगी। मैं आशा करता हूं कि जैसलमेर में जो तेल की खोज की जा रही है वह कामयाब होगी। तो धीरे धीरे देश अपने यौवन पर आ रहा है, प्रौढता की तरफ बढ़ रहा है और मैं आशा करता हूं कि स्वतन्त्रता के बाद फिर इस देश में जवानी आयेगी और यहां भी वही प्रौढ़ता आयेगी जो किसी जवान और प्रौढ़ देश में होती है।

यह कहा गया है कि जो भोजन है वह beyond the means of many people

[श्री जयनारायण व्यास]

है । मैं नही समझता कि वह beyond the means of many people है । क्योंकि अगर भोजन beyond the means of many people होता तो जैसा कि मैंने ज़िक्र किया बंगाल की सी स्थिति पैदा हो सकती थी, जो कि नही हुई । दूसरी बात यह कही गई है कि कुछ लोग अंडरफेड हो रहे हैं । हो सकता है कुछ लोग अंडरफेड हो रहे हैं लेकिन फीडिंग के भी कुछ स्टैन्डर्ड होते हैं और यह अलग अलग देखने की बात है । मैं जितना खाता हूं, उसको देखते हुए मैं भी कह सकता हूं कि मैं अंडरफेड हूं, लेकिन कोई मुझे देखकर यह नही कह सकता कि मैं अंडरफेड हूं । कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो देखने में मरियल, दुबले पतले हैं, लेकिन खाने में कोई कमी नही रखते । हो सकता है किसी जगह किसी चीज की कमी हो और वह लोगों को नही मिल पाती है । लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब देश में भी खाने पीने की आदतों में थोड़ा फर्क पड़ने लग गया है । आज से बीस वर्ष पहले आप मद्रास जाते तो आप यह पाते कि वहां के लोग भात या चावल के अलावा दूसरा खाना पसंद नही करते थे लेकिन आज वहां भी लोग रोटी खाना पसंद करने लगे हैं और चना और दाल भी पसंद करते हैं । इतनी बात ज़रूर है कि जो चावल खाने का आदी है वह चावल खाना ज्यादा पसंद करेगा और जिस वक्त चावल में थोड़ी कमी हो गई और चावल के बदले में गेहूं आ गया तो फिर वह अपने को अंडरफेड कह सकता है । इस देश में अंडरफेडिंग से बचने के लिये हमको थोडी अपनी हैबिट बदलनी पड़ेगी, जैसे यहा आने के बाद हम कपड़े पहनने की आदत बदलते हैं । जो लोग साउथ से आते हैं वे अपने यहां तो लुंगी और कुर्ते के बिना काम चला सकते हैं लेकिन यहां आकर उन्हें मोटा कपड़ा भी पहनना पड़ता है । तो इसी तरह से देश की एकता को कायम करने के लिये हमें खाने पीने की आदतों को भी बदलना चाहिये और ऐसा करने से यह जो शक है हमारा कि हमारी अंडरफीडिंग हो रही है, वह शक दूर हो जायगा ।

12 NOON

फिर कहीं कमी है तो उस कमी को नजर में रखना चाहिये और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिये, उसकी उपेक्षा नही करनी चाहिये । हमारे देश में जो योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में कई तरह की टिप्पणियां पढ़ते रहते हैं । लेकिन खास तौर पर जो हमारी नदी घाटी योजनाएं बनी हैं, मेरा ऐसा खयाल है कि यह भारतवर्ष के लिए एक नई चीज है मगर इन चीजों में कहीं पर कोई कमी रह गई हो तो उसमें कोई शक भी नहीं है । लेकिन इन योजनाओं का मुक़ाबला दूसरे देश की योजनाओं के साथ किया जाय तो हमें यह मालूम पड़ेगा कि ये योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं । कभी कभी हम लोग, जिनमें सिविल सर्विस के लोग भी हो सकते हैं, मिनिस्टर भी हो सकते हैं जिनके ऊपर इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी है, इनके महत्व को अच्छी तरह महसूस न करें ऐसी कुछ कमी रह सकती है, जिसकी तह में हम न जा सके हों या कहीं पर कोई गड़बड़ी हो गई हो । लेकिन फिर भी इस देश के अन्दर जितनी योजनाएं चल रही हैं वे सब हमारे लिए गौरव की चीज़ें हैं । पं० जवाहरलाल जी ने एक दफा कहा था कि अगर तीर्थ स्थानों के दर्शन करने हों तो इन नदी घाटी योजनाओं को जाकर देखिये । जिस समय उन्होंने "तीर्थ" शब्द का प्रयोग किया था तो उस समय शायद बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं हुए । लेकिन जिन लोगों ने इन योजनाओं को स्वयं जाकर देखा है उनकी समझ में आ गया कि वास्तव में ये स्थान तीर्थ हैं । ये स्थान हैं जो इंसानों को खिलाते हैं, पिलाते हैं और रोशनी देते हैं, इंसानों को उद्योग देते हैं और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और देश का विकास करते हैं । भाखड़ा योजना को देख लीजिये । जिन लोगों ने और विदेशियों

ने, इस योजना को देखा है उन्होंने इसकी प्रशंसा की है और गौरव के साथ कहते हैं कि यह एक विचित्र वस्तु है । मैं जब वहां पर गया था तो उस समय ७४० फुट बांध का काम चल रहा था । यह एक मामूली चीज नहीं है । संसार के अंदर एक विचित्र चीज है। यह तना विशाल काम है कि जब यह योजना पूरी तरह कार्यान्वित हो जायगी तो ३६ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकेगी और ५ लाख ६२ हज़ार किलोवाट बिजली मिल सकेगी । इसी तरह से जहां से मैं आता हूं वहां पर चम्बल के पास एक बांध बनाया जा रहा है जिससे ११ लाख एकड़ भूमि की सिचाई हो सकेगी । स जगह पर पहले बहुत थोड़ा अनाज पैदा होता था सिवाय गंगानगर के और कोई स्थान ऐसा नहीं था जहां पर कि सिंचाई की व्यवस्था रही हो। अब स बांध के बन जाने से राजस्थान में करीब ११ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जायेगा जो कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ।

अब मैं कोसी नदी के बारे में आप से कुछ कहना चाहता हूं । कोसी नदी को माता के नाम से पुकारा जाता है । लेकिन वह माता की तरह हमेशा पालन नहीं करती है बल्कि कोसी तो क्रुद्ध माता की तरह हमेशा चपेटा देती है और अपने बच्चों को परेशान करती । कभी कभी तो वह ऐसा बहाव ले आती है कि लोगों के घर बह जाते हैं, झोपड़ियां बह जाती है, खेती, इंसान, जानवर बह जाते है और काफी नुकसान हो जाता है । लेकिन उस कोसी को भी आज नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द उस पर काबू पा लिया जायेगा । इस तरह से वास्तव में जो माता का रूप है, बच्चों की सेवा करना, इस रूप में वह सेवा कर सकेगी ।

इस समय हमारे देश में कई योजनायें चल रही हैं जिनमें तुंगभद्रा, मचकुंड, मयूराक्षी, हीराकुड, कोनार, मैथान और शायद छोटो मोटी ४०० योजनायें होंगी । इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में कभी कभी कमियों का भी सामना करना पड़ता है । कभी कभी इंजीनियरों और ठेकेदारों की ओर से कमियाँ हो जाती हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर काम नहीं हो रहा है । जहां पर गुड़ होता है वहां पर मक्खियां भी आ जाती हैं । इस तरह के कामों में बहुत सारा पैसा चोरी भी चला जाता है । लेकिन जो योजनायें सरकार ने बनाई हैं उनके पीछे एक तीव्र इच्छा है और वह है इस देश को आगे बढ़ाने की। अगर इस तीव्र इच्छा के पूरा करने में कोई बाधक होता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों न हो उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिये ।

सामुदायिक विकास योजनायें जो इस समय देश में चल रही हैं वे लोगों को और सरकार को साथ साथ लाने के एक पूरक साधन हैं । जब पहले इस प्रकार के केन्द्र देश में खुले थे तो लोगों ने यह समझा था कि एक और सरकारी महकमा बन गया है । आज भी कहीं कहीं पर यह भ्रम मौजूद है लेकिन सामुदायिक विकास केन्द्र कोई सरकार नहीं है, वह तो जनता और सरकार दोनों को एक स्तर पर लाकर, दोनों को साथ साथ लाकर और दोनों के सहयोग से देश को आगे बढ़ाने का साधन मात्र है । इस दिशा में, मैं समझता हूं काफी प्रगति हुई है । आज हमारे देश में इस तरह के २,१५१ केन्द्र हैं, जिनमें दो लाख ७६ हज़ार गांव आ जाते हैं और उनसे १५ करोड़ जनता की सेवा की जाती है । इस काम में भी कुछ कमियां हैं । कमियाँ किस काम में नहीं आती ? लेकिन इंसान का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उन कमियों को दूर करे । इन कमियों को दूर करने के लिये श्री बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी । इस कमेटी ने काफी मूल्यवान सुझाव दिये हैं । मुझे आशा है कि सरकार इनमें से अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लेगी और इन केन्द्रों को चलाने में जो कमियां

[श्री जयनारायण व्यास]

इस समय आ गई है, वे भी दूर हो जायेंगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन यह कह देना कि इन चीज़ों से एक्चुअल बैनीफ़िट नही हुआ है, लाभ नहीं हुआ है, आसान बात है।

हमारे यहां फाल्गुन के दिनों में, होली के दिनों में कुछ गालियां गाई जाती है, कुछ गीत होते है। उसमें पौमचे का गीत है। उसको सर के ऊपर ओढ़ लेते है। पौमचे की बनावट मलमल पर होती है। मलमल रंगी जाती है, उसके ऊपर छापा होता है। इन सारी चीज़ों से शृंगार होता है। उस पौमचे के लिए किसी मनचले आदमी ने कहा कि एक दियासलाई का काम है और उसका रंग, उसका छापा, सब एक दियासलाई में पूरा हो जाता है। इसी तरह नदी घाटी योजनाओं से फ़ायदा नहीं हुआ है या थोड़ा फ़ायदा हुआ है, इस तरह की बातें कह देना तो आसान है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिये कि सारी चीज़ों को जुटाकर एक अच्छी वस्तु बनायें न कि इस तरह का होना चाहिये जिस तरह कि पौमचे को दियासलाई दिखाकर ख़त्म किया जाता है।

मेरा तो सामुदायिक विकास केन्द्र से काफी सम्बन्ध रहा है। मेरा अपना अनुभव यह है कि इस चीज़ से देश की जनता को बहुत लाभ पहुंच रहा है। लेकिन लोग समझते हैं कि जो काम हो वह सरकार करे। कुछ लोगों के मस्तिष्क में यह भावना बैठ गई है कि जो भी काम किया जाय वह सरकार करे, अधिकारी करें। लेकिन इस समय ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के दिलों में यह भावना बैठाई जाय कि देश में इस समय जो सरकार है वह अपनी ही सरकार है और वह जो काम कर रही है लोगो की भलाई के लिए ही कर रही है और इसमें सब आदमियों को मिलकर सहयोग देना चाहिये। जब तक यह भावना लोगों के दिलों में घर नहीं कर लेती तब तक इन केन्द्रों में हम ज्यादा उन्नति नहीं कर सकते हैं। परन्तु मेरा ख़्याल है कि अब लोगों की भावनाओं में, दृष्टिकोण में काफी अंतर आ गया है और जो बचा खुचा काम है वह जल्द पूरा हो जायेगा।

जैसा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारे संबंध दूसरे राष्ट्रों से काफ़ी अच्छे रहे हैं और यह आशा की जाती है कि भविष्य में और भी अधिक अच्छे होंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ लोग यह उलाहना देते हैं कि नई दिल्ली के अंदर तो बहुत झंडियां खड़ा करने का पेशा हो गया है। कभी अफ़गानिस्तान के शाह आ गये, कभी कहीं के आ गये, कभी कहीं के आ गये। लेकिन ये जो आते हैं, जाते हैं इस आने जाने के पीछे एक भावना होती है। एक भला आदमी होता है तो उससे मिलने के लिए लोग आते हैं। एक मेहमान नवाज आदमी होता है जो मेहमानों को खूब अच्छी तरह से रखता है तो उसके यहां मेहमान भी आते हैं। कभी कोई बड़ा राजा आता है, कभी कोई मिनिस्टर आता है, तो यह आना इस बात का सबूत है कि आज हमारी दोस्ती विश्व भर में फैल रही है। हमारे प्रधान मंत्री भी कहीं जाते हैं तो वह भी इसी बात का चिन्ह है कि हमको एक दोस्त के तौर पर बुलाया जाता है और हमारी बात सुनी जाती है। कोई काम काज होता है, हमारी फौजों को बुलाते हैं या हमको पंच के तोर पर बुलाते हैं, यह सारा इस बात का सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमने एक स्थान बनाया है और वह स्थान काफी अच्छा बनाया है, दोस्ती का स्थान बनाया है। हम संसार के दोस्त हैं और संसार हमारा दोस्त है। जहां कहीं शक व शुबहा की बातें हैं—क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा संसार दोस्त हो गया है---उस शक व शुबहा को निकालना चाहिये और वह निकालने का तरीका जैसा कि पंडित जी ने बताया है हमारी नीति है कि हमें बिलकुल न्यूट्रल रहना चाहिये चाहे कोई हमें इधर खींचना चाहे, चाहे कोई उधर खीचना चाहे, चाहे इस पाले में खींचने की कोशिश करे, चाहे उस पाले में खीचने की कोशिश करे, लेकिन हमें इस

पालेबाज़ी के झगड़े में पड़ने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिये ।

अभी मेरे कान में आवाज़ आई कि ये सारी बातें तो कही गई, लेकिन काश्मीर के सम्बन्ध में कुछ नही कहा गया । हमें काश्मीर के मामले को एक परदेशी मामले के तौर पर नहीं मानना चाहिये । काश्मीर का मामला अभी पूरा हल हो गया है, ऐसा न मान करके और बहुत ही समझ कर हमें इस मामले पर विचार करना चाहिये । ग्राहम साहब आते हैं, जाते हैं, बातचीत करते हैं लेकिन इस मामले को जहां तक मेरा ख्याल है मेनन साहब ने बहुत अच्छे ढंग से न सिर्फ विदेशों में रखा है बल्कि अपने देश में भी रखा है । यह सब कुछ होते हुए भी काश्मीर का मामला सुलझाने के लिए कुछ और भी बातें हमको करनी पड़ेगी । काश्मीर वैसे सांस्कृतिक दृष्टि से और और भी दृष्टियों से भारत का एक अंग है ही, लेकिन ये बातें होते हुये भी कुछ बातें अभी तक क़ायम हैं । उन बातों को हमें स्वीकार करना चाहिये और वे बातें ये हैं कि आज भी जो वहां का हाई कोर्ट है वह हमारे सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है, उसका हमारे सुप्रीम कोर्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है । आज हमारा एकाउंटेंट जनरल वहां के हिसाब किताब को पूरी तरह से देख सके, ऐसी स्थिति में हम नहीं हैं । आज भी हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन और हमारी सर्विसेज़ का इंटीग्रेशन हो गया हो, ऐसी बात नहीं है । आज भी अगर वहां से पर्मिट फ़ोर इंडिया लेकर आना पड़ता है और यहा से पर्मिट फ़ोर काश्मीर ले कर जाना पड़ता है, तो यह कमियां हैं और इन कमियों को निकालना चाहिये । शेख़ मुहम्मद अब्दुल्ला अभी कुछ दिन पहले बाहर आये । वे अन्दर थे । उनके और बख़्शी साहब के ताल्लुकात कैसे थे, उस झगड़े में हमको पड़ना नही चाहिये । बाहर आने के बाद उनके कुछ भाषण भी हुए हैं और वे भाषण लोगों को नापसन्द आये हैं । कुछ लोगों का यह कहना है कि वे भाषण ग़लत तरीके से रखे गये हैं ।

श्री पा० ना० राजभोज (मुम्बई): बहुत ग़लत तरीके से रखे गये हैं ।

श्री जयनारायण व्यास : इस झगड़े में मेरा दृष्टिकोण यह है कि शेख़ अब्दुल्ला ने काश्मीर के लिए कोई काम न किया हो, ऐसी बात नहीं है । शेख़ अब्दुल्ला नाराज हो सकते हैं । इसके लिए बहुत कारण हैं । ऐसी बात नहीं है कि कोई कारण नहीं है । बदक़िस्मती से शेख़ अब्दुल्ला को उनके मित्रों ने सही स्थिति समझाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि गलती समझाने में भय होता है । मै ऐसा मानता हूं कि काश्मीर को अलग रखने में शेख़ अब्दुल्ला को कोई लाभ नहीं है क्योंकि काश्मीर अलग स्वतंत्र रूप से बिना दूसरे के सहारे के उसी तरह से नहीं रह सकता जिस तरह से मध्य भारत नहीं रह सकता या राजस्थान नहीं रह सकता । उसका भला पाकिस्तान के साथ जाने में भी नहीं हो सकता है । काश्मीर को भारत के साथ रहने में ही भला हो सकता है । मैं समझता हूं कि शेख़ साहब को अगर उनके मित्र—उनमें से मैं भी अपने को मानता हूं—यह सुझायें कि आपको भारत के साथ रहना है और आपका और बख़्शी साहब का जो झगड़ा है उसका हिसाब किताब पीछे चुकाते रहना, तो इससे बहुत कुछ हो सकता है । इसके साथ साथ हमें यह भी नहीं करना चाहिये कि हम उनको भड़काते रहें और भड़का करके खाई को और चौड़ा करें ।

एक माननीय सदस्य : क्या करना चाहिये ?

श्री जयनारायण व्यास : मैं कह चुका हूं कि हमको समझाना चाहिये और भड़काने वाला कोई काम नही करना चाहिये । इस विषय में अगर हम विस्तार में जाना चाहें तो और किसी अवसर पर विस्तार में जा

[श्री जयनारायण व्यास]

सकते हैं । इस समय मैं इसको काश्मीर का प्लेटफार्म बनाना नही चाहता चाहता ।

सभापति जी, कुछ बातें मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रपति के भाषण में नहीं लाई गई है और उनकी तरफ ध्यान खींचना मैं आवश्यक समझता हूं । उनमें से पहली बात तो यह है कि शिक्षा के सम्बन्ध में हमको कुछ उनके ध्यान में लाना चाहिये क्योंकि संविधान में हमने यह तय किया था कि दस वर्ष के भीतर हम कम्पलसरी फ्री एजुकेशन करना चाहते हैं कम से कम प्राइमरी स्टेज तक और वे दस वर्ष नवम्बर, २६, १९५९ में हो जायेंगे । हमें इन दस वर्षों का ख्याल रखना है और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो प्रगति है उसको भी हमें थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिये । वैसे स्वराज्य मिलने के पहले यह स्वीकार कर लिया गया था कि शिक्षा के सम्बन्ध में हम बहुत पिछड़े हुये हैं । सेंट्रल ऐडवाइज़री बोर्ड आफ़ एजुकेशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि ४० वर्ष के अन्दर फ्री कम्पलसरी एजुकेशन हो जानी चाहिये । लेकिन स्वराज्य के बाद आल इंडिया एजुकेशन कांफ्रेंस ने सन् १९४८ में इस पीरियड को, इस समय को १६ वर्ष का बता दिया । उसने यह कह दिया कि ४० वर्ष बड़ा लम्बा अर्सा है और १६ वर्ष के अन्दर ही हमको अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ कर देनी चाहिये । लेकिन फिर जब हमारा संविधान बना तो वे १६ वर्ष भी हमको ज्यादा लगे और हमने दस वर्ष का समय निर्धारित कर दिया और वे दस वर्ष अब समाप्त होने को आ गये हैं । इस दिशा में अभी हम बहुत कमी पाते हैं और यह कमी पूरी होनी चाहिये । इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं । मैं आशा करता हू कि संविधान की इस धारा की तरफ़ ख़ास तौर से ध्यान दिया जायगा । जो उस वक्त फ्री एजुकेशन के सम्बन्ध में बताया गया था वह ६, ११ के ऐज ग्रुप में बताया गया था । मुझे 'टेन ईयर्स आफ फ्रीडम' किताब देखने को मिली है । इसमें इंडिपेंडेंस के पहले इस ऐज ग्रुप के ३० पर सेंट लड़के पढ़े लिखे थे यह बताया गया है । लेकिन आज इनकी स्थिति ५३ फी सैकड़ा है । जब ५३ फ़ी सैकड़ा स्थिति आज इस एज ग्रुप की है तो एक साल में सेंट पर सेंट होना मुझे मुश्किल मालूम पड़ता है । इस तरफ़ कुछ ध्यान देना पड़ेगा । मैं नहीं समझा कि अगर ध्यान दिया जाय तो संविधान को बदलने की कोई आवश्यकता पड़े ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हू वह यह है कि प्रोहिबिशन के लिए, नशेबाज़ी को रोकने के लिए हमने प्रतिज्ञा की थी । हमारे संविधान की धारा ४७ मे यह लिखा हुआ है :

> "The State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health."

अब बहुत से लोग इसको रुपये पैसे का साधन मानते हैं । वे समझते हैं कि इससे हमको बहुत पैसा मिल जायगा, हमारी डिस्टिलरीज़ बहुत अच्छी चल जायेंगी और हमको एक्साइज़ में भी पैसा मिल जायगा । कई लोग यह कहते हैं कि हमें टूरिज्म का प्रचार करना चाहिये और टूरिज्म के लिए नशे का प्रचार करना जरूरी है। ठीक है, टूरिस्ट्स की जरूरत के लिए कुछ शराब मुहैया कर दी जाय । जहां उनके सेंटर्स हों वहां आप शराब मुहैया कर दें, लेकिन लोगों में शराब बन्दी न करना, शराब बन्दी के खिलाफ़ बात करना या प्रचार करना मेरा ख्याल है कि संविधान का विरोध करना है । मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस विषय में हमारा ध्यान कम गया है और इस विषय का उल्लेख भी अभिभाषण में नही हुआ है । यह कमी मैं पाता हूं । इस विषय में हमको कदम उठाना चाहिये । कई लोग इससे डरते हैं और बात सही भी है, डरने का कारण भी

है क्योंकि लोग चोरी चोरी से शराब पीते हैं और चोरी चोरी से शराब बेची जाती है और उसको खुद अपनी आंखों से देखते हैं मगर चोरी से जो शराब बनती है और चोरी से जो बेची जाती है यह तो हमारे प्रबन्ध की कमी है। शराब कोई अच्छी चीज है यह बात नही है या देश में शराब से कोई तरक्की होगी यह बात भी नहीं है। लेकिन मैं दूसरी तरफ एक दूसरी बात भी देखता हूं। मैंने एक बार एक प्रसंग मे कहा था और आज भी उसी बात को दुहराता हू कि मैं राजपूतों के क्षेत्र में रहता हूं जिनमें राजा थे, जिनमें जागीरदार थे और जिनकी शादी में अगर शराब नहीं आये तो वह शादी हल्के आदमी की समझी जाती थी और जिनके गीत भी शराब के ऊपर बने हुये थे, शादी के गीत शराब के ऊपर बने हुये थे और मेहमानों के स्वागत करने के गीत शराब के ऊपर बने हुये थे। आज मै वहां देखता हूं कि बड़े बड़े राजाओं और जागीरदारों के यहां शराब नही है। जाम साहब के रिश्ते में कोई शादी हुई थी और वहां उस शादी में मैंने देखा था कि शराब का कोई नाम ही नही था। बल्कि आज वहा जिन लोगों के यहा शराब पी जाती है उन लोगों को वे हेठा समझने लगे हैं।

SHRI KISHEN CHAND (Andhra Pradesh): Sir, is the hon. Member proposing a motion of thanks or giving his criticism of the Address?

SHRI JAI NARAIN VYAS: I propose a motion of thanks, but I also propose those things which will bring greater thanks from the people

मैं यह बात भी ध्यान में लाना चाहता हूं इसलिये कि अभिभाषण में इसके बारे में एक शब्द भी नही है। तो मै धन्यवाद देते हुए जो कमी है उस कमी को भी नजर में लाना चाहता हूं। बात यह है कि हम कभी कभी बड़े आर्थोडॉक्स हो जाते हैं कि जिस बात को हमने मान लिया उसी लीक के पीछे ही चलते हैं लेकिन हमारी नीति जो है, हमारी योजना जो है और योजना को चलाने की जो नीति है वह ऐसी नहीं है। मैं जवाहरलाल जी के कुछ शब्द आपके सामने इस वक्त रखना चाहता हूं और वे योजना के सिलसिले में हैं :

> "We want to produce the material goods of the world and to have a high standard of living, but not at the expense of the spirit of man, not at the expense of his creative energy, not at the expense of his adventurous spirit, not at the expense of all those fine things of life which have ennobled man throughout the **ages.**"

हमें अपनी योजनाओं को चलाने के लिये इसी भावना से आगे बढ़ना पड़ेगा और अगर हम राष्ट्रपति को सम्मानपूर्वक उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देते हैं तो भी जो बातें कम हों उन बातों को भी ध्यान में लाना चाहिये। मै समझता हूं कि अब मुझे कोई बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नही है और मै आशा करता हूं कि अभिभाषण के प्रति हम जो कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं उस कृतज्ञता ज्ञापन में हमारे सभी साथी शरीक होंगे।

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Before I call upon Shrimati Pushpalata Das, I find Mr. Kanungo, you laid on the Table only items 7 and 8. You may place on the Table item No. 3 also.

AMENDMENTS IN TEA RULES, 1954

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI N. KANUNGO): Sir, I lay on the Table, under sub-section (3) of section 49 of the Tea Act, 1953, a copy of the Ministry of Commerce and Industry Notification S.R.O. No. 153 [8(4) Plant (A)/57] dated the 1st January, 1958, publishing further amendments in the Tea Rules, 1954. [Placed in Library. *See* No. LT-509/58.]